

अनुविभागीय अधिकारी, पटवोड़ा जिला रायगढ़ उमरा

रा.प्र.सं. 45 / 3-2/2000-2001

ग्राम तराईमाल प.ह.नं. 36 तह. घटवोड़ा

नवा स्पंज आयरन प्रा.लि.मि.,
द्वारा रामदुलार गुप्ता आ. प्रयागराज गुप्ता
निवासी तराईमाल प.ह.नं. 36 तह. घटवोड़ा.

अनाम

उत्तीसगढ़ आसन

आदेश

पारित दिनांक 3/8/2001

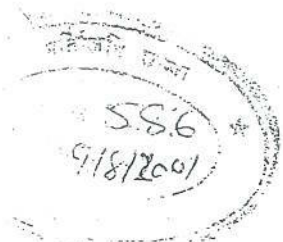
आवेदक नवा स्पंज आयरन प्रा.लि.मि. की ओर से रामदुलार गुप्ता
आ. प्रयागराज गुप्ता निवासी तराईमाल प.ह.नं. 36 रा.नि. मं. तमनार तह. घटवोड़ा
द्वारा ग्राम तराईमाल में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 141/7 रुकबा 8.850 हे. भूमि में से
4000 हे. भूमि 436000 वर्गफीट पर अधोनिगत प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तित किये जाने
हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया.

तदनुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर म.प्र.सं. 1959 की धारा 59-172
के प्रावधान अनुसार प्रकरण में ईशतार जारी किया जाकर आपत्ति दावा आमंत्रित
किया गया एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त किया गया. हल्का पटवारी
से प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक से परिवर्तित भूमि का गणना पत्र तैयार कराया
जाकर प्रकरण में संलग्न किया.

उक्त आधार पर संहिता की धारा 172(1) के अधीन आवेदक को खसरा
क्रमांक 141/7 रुकबा 8.850 हे. में से 4000 हे. 436000 वर्गफीट भूमि को कृषि
भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि व्यवर्तन करने की अनुमति दी जाती है, किन्तु धारा 59(1)
में प्रगत शक्तियों के अनुसार उक्त भू-खंड जिसका क्षेत्रफल 436000 वर्गफीट है के लिये
3052.00 रुपये भू-माटक एवं 1526.00 रुपये पंचायत उपकर वार्षिक पुर्ननिधारण किया
जाता है जो वर्ष 2000-2001 से प्रभावशील होगा. तथा म.प्र.सं. 1959 की
धारा 172(4) के प्रावधान अनुसार उस पर 200-00 रुपये सौ. रुपये शान्ति
अधिरोधित किया जाता है.

आदेश पारित एवं घोषित

अनुविभागीय अधिकारी,
घटवोड़ा जिला रायगढ़



मुख्य अधिकारी

मुख्य अधिकारी